NAME	PLACE	DATE
Dainik Navjyoti	Ajmer	17-07-2020

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216
पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा–311021
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
फोन: +91–1483–223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91–1483–223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उ.प्र.)
फोन: +91–120–4390300 (EPABX), फैक्स: +91–120–4277841
ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: www.rswm.in

अंशधारकों हेतु सूचना

कम्पनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाता में हस्तांतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम 2016") और समय–समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुपालन में अंशधारकों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है। आईईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार 7 वर्षों से लाभांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।

नियमों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत् 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2012–13 से लाभांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

कंपनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लाभांश का दावा गत् (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लाभांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्पीड–पोस्ट के माध्यम से, व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कंपनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् **www.rswm.in** पर अपलोड कर दिया है।

तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु गैर–दावाकृत लाभांश **24 अक्टूबर, 2020** को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा तथा **23 नवम्बर, 2020** अथवा उसके पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि कंपनी/ रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी नियमों का पालन करने की दृष्टि से ऐसे अंशों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी।

भौतिक तौर पर अंशों के संघटक अंशधारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र(त्रों) को जारी करेगी और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए डिपॉजिटरी को इन्हें डीमैटेरियलाइज करने हेतु सूचित करेगी। डीमैट तौर पर संघटित समता अंशों को डिपोजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) की मदद से सीधे आईपीईपी प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लावारिस लाभांश और समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लाभों सहित (राइट्स इशू के अतिरिक्त), यदि हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
(यूनिट: आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड)
एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेज –1, नई दिल्ली–110020
फोन नंबर: 011–41406149–52, फैक्स नंबर: 011–41709881
ईमेल आईडी: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

कृते **आर एस डब्लू एम लिमिटेड**

सुरेन्दर गुप्ता
कम्पनी सचिव
एफसीएस: 2615

दिनांक : 16 जुलाई, 2020
स्थान : नोएडा (उ.प्र.)